न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 349/2025

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. हडवन्तसिंह पुत्र स्व. जुंझार सिंह निवासी–सहला, तहसील गडरा रोड, जिला बाड़मेर।		1. स्व. फरसा उर्फ परशुसिंह पुत्र मालसिंह के वारिसानः– 1. भीखसिंह कंवर पत्नी स्व. फरसा 2. दलपतसिंह पुत्र स्व. फरसा 3. प्रहलादसिंह पुत्र स्व. फरसा 2. स्व. भाखरा उर्फ भाखरसिंह पुत्र मालसिंह के वारिसानः– 1. मीरा कंवर पत्नी स्व. भाखरा 2. मेहताबसिंह पुत्र स्व. भाखरा 3. श्रवणसिंह पुत्र स्व. भाखरा 4. भोमसिंह पुत्र स्व. भाखरा 3. स्व. निम्बा उर्फ निम्बसिंह पुत्र मालसिंह के वारिसानः– 1. सूरज कंवर पत्नी स्व. निम्बा 2. रविन्द्रसिंह पुत्र स्व. निम्बा 3. दुर्जनसिंह पुत्र स्व. निम्बा 4. शान्ती पत्नी जगदीश 5. उदयसिंह पुत्र जगदीश 6. बाबू उर्फ बाबूसिंह पुत्र हड़वंता के वारिसान 6/1 दरियाकंवर पत्नी स्व. बाबू 6/2 समंदरसिंह पुत्र स्व. बाबू 6/3 शैतानसिंह पुत्र स्व. बाबू 7. सवाईसिंह पुत्र कालूसिंह 8. विजयसिंह पुत्र कालूसिंह 9. लीलादेवी पत्नी कालूसिंह 10. जसवंतसिंह पुत्र जोरसिंह 11. कंकनकंवर पत्नी जोरसिंह 12. स्व. भैरसिंह पुत्र देशला के वारिसान

		1. मांगीदेवी पत्नी स्व. भैरसिंह 2. दिनेशसिंह पुत्र स्व. भैरसिंह जरिये माता मांगीदेवी समस्त निवासीगण–गिराब,तहसील गडरा रोड, जिला बाड़मेर। 13. दानसिंह पुत्र प्रयागसिंह 14. चन्द्रकंवर पुत्र देवीसिंह निवासीगण–आसाड़ी, तहसील गडरा रोड, जिला बाड़मेर। 15. नखतसिंह पुत्र बागसिंह निवासीगण–चेतरोड़ी जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.05.2024 को उपखण्ड अधिकारी, गडरा रोड के द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 82/2020 अनवान फरसा उर्फ फरसासिंह वगैराह बनाम नखतसिंह वगैराह में पारित किया गया

उपस्थितिः–

1. श्री गुलाबसिंह भाटी, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्टस बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस सूचना के अनुपस्थित है।

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांकः 12-3-26.

1. अपील पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 12 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गडरारोड के समक्ष प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.10.2020 अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111,128 के तहत प्रस्तुत किया गया कि मौजा आसाडी सिंधीयान के खसरा संख्या 137 रकबआ 14.00 वीघा भूमि उनकी खातेदारी भूमि स्थित है। वर्षा के समय विप्रार्थीगण उनकी खातेदारी भूमि में काश्त के समय जबरन घुसकर दखलांदजी पैदा करते है तथा सेढा पर विवाद पैदा करते है, जिस विवाद के स्थाई समाधान के लिये वे अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत कर नेखमबन्दी करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी गडरारोड के द्वारा रेस्पोडेण्ट्स के उक्त प्रार्थना–पत्र को अपीलाधीन आदेश

दिनांक 2.5.2024 के द्वारा स्वीकार करते हुए नेखमबन्दी किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट के द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 21.04.2025 को पेश की गई है।

2. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अपील प्रकरण में संस्थित रेस्पोडेन्टस को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बावत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये परन्तु नोटिस डिलीवर्ड होने के बावजूद न तो वे उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कोई उपस्थित हुआ है। तत्पश्चात अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा की गई एकपक्षीय बहस को सुना गया।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों अनुसार कथन किया कि उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी भाखरा उर्फ भाखरसिंह के देहान्त दिनांक 10.4.25 को होने के उपरान्त बैठक में जाने दिनांक 16.4.2025 को गांव वालों के माध्यम से हुई। तब अपीलान्ट ने अधिवक्ता के माध्यम से अपीलाधीन आदेश की प्रति दिनांक 17.4.2025 को प्राप्त करते हुए बिना किसी विलम्ब के यह अपील पेश की गई हैं। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस् की ओर से नेखमबन्दी हेतु आवेदन पेश किये जाने पर विप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त होने पर उनकी ओर से वकालतनामा पेश किया गया। तत्पश्चात पत्रावली दिनाक 25.4.2023 से लगातार विचाराधीन रही। दिनांक 2.5.2024 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वकील अपीलान्ट को जवाब पेश करने का अवसर दिये बिना ही उसी दिन जवाब बन्द कर शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए मात्र प्रार्थीगण की बहस सुन कर आलौच्य आदेश पारित कर दिया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि प्रस्तुत राजस्व आवेदन में स्पष्ट कथन किये कि उक्त खसरा भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य सेढा विवाद रहता है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काश्त करने से वंचित रह जाते है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि की पैमाइश किये बगैर नेखमबन्दी का आदेश पारित ही नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई अविवादित पैमाइश रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही उक्त भूमि की पैमाइश नहीं हुई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पैमाइश के उक्त नेखमबन्दी का आदेश पारित किया गया है जो खारिज करने योग्य है।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा जो राजस्व आवेदन संख्या 79/2011 में दिनांक 12.6.2018 को आदेश पारित करने के कथन किये है, उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की हुई है जो भी विचाराधीन है। इस प्रकार उक्त अपीलों के लम्बित रहते आलौच्य आदेश पारित किया गया है तथा उक्त तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखने का अवसर तक नहीं दिया गया है जो कतई स्वीकार्य नहीं है। उक्त आलौच्य आदेश से अपीलार्थी के कब्जे व काश्त पर विपरित प्रभाव पड़ेगा तथा अपीलार्थी को पुनः नेखमबन्दी की दुरूस्ती हेतु चाराजोही करनी पड़ेगी। इसलिये उक्त आलौच्य आदेश को निरस्त किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक व न्यायसंगत है।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि आलौच्य आदेश में जिस भूमि की नेखमबन्दी बाबत आदेश पारित किया गया है, उस भूमि पर रेस्पोडेन्टस् का कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा है व वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व से लेकर आज दिन तक अपीलान्ट का ही निर्विवादित कब्जा व काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर किये व अपीलान्ट को बिना सुने ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य हैं। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.5.2024 को निरस्त किया जावें।

8. हमने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन एवं किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों/अपील इत्यादि का बगौर अवलोकन किया जिससे यह

अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गडरा
था गया कि अपीलान्ट के द्वारा इस अपील में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गडरा रोड के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.05.2024 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि मात्र प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को सुनकर व वर्तमान अपीलान्टस् के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो अपीलान्टस् के प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट ने यह भी आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व पैमाइश भी नहीं करवाई गई है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्टस् का उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य था।

9. इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया पत्रावली में वादग्रस्त भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न नहीं है। इसके अतिरिक्त विप्रार्थीगण को अपना पक्ष रखे जाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। पक्षकारान के मध्य राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण विचाराधीन होने का उल्लेख किया गया है जिनका भी परीक्षण किया जाना आवश्यक था। ऐसे में अपीलाधीन आदेश को विधि के अनुरूप पारित किया हुआ होना नहीं माना जा सकता है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.05.2024 को विधि अनुरूप नहीं होने, रिकार्ड के विपरित होने तथा पक्षकारान के प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं है, जिसे निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई उपरान्त नये सिरे से यथोचित निर्णय पारित किये जाने प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.05.2024 को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान करवाने, उभय पक्षकारान को उनका पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 12.3.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

12.3.26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

5